



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252715
CG-DL-E-07032024-252715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1063]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1063]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

का.आ. 1120(अ).—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को, व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में शामिल है;

और, 'मोहम्मद कासिम गुज्जर' उर्फ 'सलमान' उर्फ 'सुलेमान', पुत्र मोहम्मद शफ़ी, आयु-32 वर्ष (लगभग), जिसका स्थाई पता अंगराला, तहसील माहौर, जिला रियासी, जम्मू है और जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में निवास कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से संबंध रखता है; जो कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान देश के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से, ड्रोन के द्वारा हथियार, गोला-बारूद, आईईडी और नकदी आदि के लिए स्थानों की पहचान, समन्वय, आपूर्ति और सीमा पार से खेप भेजने और उनका रखरखाव करने सहित व्यापक आतंकवादी क्रियाकलापों को अंजाम देने में शामिल है;

और उक्त मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान विभिन्न आतंकी हमलों, बम विस्फोटों में भी शामिल रह चुका है और इन आतंकी घटनाओं में कई व्यक्तियों की मृत्यु और चोटों के लिए उत्तरदायी है;

और उक्त मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन गूढलेखित संचार अनुप्रयोगों सहित विभिन्न साधनों द्वारा भर्ती और कट्टरता द्वारा नए आतंकी माँड्यूल बना कर आतंकी क्रियाकलापों के क्षेत्र को फैला रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान आतंकवाद में शामिल है और उक्त मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

और, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“57. मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान @ सुलेमान”।

[फा. सं. 11034/09/2023/सी टी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 02(अ), तारीख 1 जनवरी, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024

S.O. 1120(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And, whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And, whereas, Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman son of Mohammad Shafi, 32 years of age (approx.), having permanent residence at Angrala, Tehsil Mahore, District Reasi, Jammu and presently residing in Pakistan Occupied Kashmir, belongs to Lashkar-e-Taiba (LeT) and which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And, whereas, the Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman with intention to wage war against the country is involved in carrying out wide range of terrorist activities including coordinating, supplying, identifying locations of drone for dropping of arms, ammunition, Improvised Explosive Device (IED) and cash etc. and delivering and managing consignments from across the border;

And, whereas, the said Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman has also been involved in various terror attacks, bomb blasts and responsible for causing death and injuries to number of persons in these terror incidents;

And, whereas, the said Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman, to widen the areas of terror activities, has been involved in creating new terror modules by recruitment and radicalisation by various means including social media and other online encrypted communication applications;

And, whereas, the Central Government believes that Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman is involved in terrorism and the said Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 56 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“57. Mohammad Qasim Gujjar @ Salman @ Suleman”.

[F. No. 11034/09/2023/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 2 (E), dated 1st January, 2024.